

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 150 / 14

संस्थापन दिनांक:-05 / 03 / 14

फाईलिंग नं. 233504002662014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

दिनेश पिता तुम्बु नरवरे
 उम्र 45 वर्ष, निवासी कोढरखापा,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 31.01.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 15.01.2014 को समय शाम लगभग 04:00 बजे प्रार्थी के मकान के पीछे छपरी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी गणेश के 03 नग पुराने दरवाजे कीमती 4,500/- रुपये एवं एक नग ब्लेकएण्ड व्हाइट टी. वी. कीमती 2,000/- रुपये को फरियादी की बिना सहमति के बेईमानीपूर्वक आशय से ले लेने के लिए हटाकर चोरी की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी गणेश ने दिनांक 16.01.2014 को थाना आमला आकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि वह रेवले विभाग में पाईन्समेन के पद पर कार्यरत होकर रेलवे स्टेशन जम्बाड़ा में पदस्थ है। दिनांक 15.01.2014 को शाम 4 बजे जब वह उसके घर गया तो उसके मकान के पीछे की छपरी में रखे तीन नग पुराने दरवाजे कीमती 4,500/- रुपये एवं एक नग पुरानी ब्लेक एण्ड व्हाईड टीवी कीमती 2,000/- रुपये घर पर नहीं थी। फरियादी ने उक्त बात उसके भाई रामकरण एवं ग्राम कोटवार करण को बताया और पता करने पर उसे दरवाजा और टीवी दिनेश के घर पर दिखे। जिस पर उन्होंने दिनेश से कहा कि दरवाजा और टीवी क्यों लाने का कहा गया तो अभियुक्त ने कहा कि तुमसे जो बनता है कर लो। अभियुक्त ने उसके घर के पीछे की छपरी से बिना बताये उसकी मर्जी के बिना उसके घर से दरवाजा और टीवी चोरी कर ले गया है।

3 फरियादी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त दिनेश के विरुद्ध अपराध क. 48/14 में धारा 379 भा.दं.वि. में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना का नक्शा मौका बनाया गया। अभियुक्त का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत

मेमोरेंडम लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त से एक नग ब्लेक एण्ड व्हाइट टीवी एवं तीन नग दरवाजे के पल्ले जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र निराकरण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 15.01.2014 को समय शाम लगभग 04:00 बजे प्रार्थी के मकान के पीछे छपरी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी गणेश के 03 नग पुराने दरवाजे कीमती 4,500/- रुपये एवं एक नग ब्लेकएण्ड व्हाइट टी.वी. कीमती 2,000/- रुपये को फरियादी की बिना सहमति के बेईमानीपूर्वक आशय से ले लेने के लिए हटाकर चोरी की ?
2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

6 गणेश (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि घटना दिनांक को जब वह नौकरी से वापस घर पहुंचा तो अभियुक्त दिनेश और उसके साथ धनाराम, सोनू, उसकी पत्नी और घर के सभी लोग मौजूद थे। साक्षी ने आगे यह व्यक्त किया है कि उसने अभियुक्तगण को मना किया कि सामान मत ले जाओ जब वह नहीं माना तो उसने उसकी थाने में रिपोर्ट की। उपर्युक्त साक्षी ने आगे यह व्यक्त किया है कि अभियुक्त ने खेत से चंदन के झाड़ और खेत की फसल भी काट ली थी। रामकरण (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि घटना उनके घर की है। घटना दिनांक को अभियुक्त दिनेश गणेश के घर से तीन सागौन के दरवाजे, टीवी और अन्य चीजें लेकर गया था। बल्लू (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि उसका मकान फरियादी गणेश के मकान से लगा हुआ है। घटना दिनांक को दोपहर में लगभग डेढ़ दो बजे अभियुक्त दिनेश और उसका लड़का खानदानी मकान के दरवाजे निकाल रहे थे और पुराना सामान भी ले गये थे। कुंजवती (अ.सा.-5) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त मकान तोड़कर खिड़की दरवाजे और घर का अन्य सामान उसके सामने लेकर चला गया था।

7 बिसनसिंह (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में फरियादी के द्वारा शिकायत किये जाने पर अपराध क. 48/14 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी तथा मौके पर जाकर नक्शा मौका तैयार किया था तथा अभियुक्त दिनेश का मेमोरेंडम

कथन लेख करने के बाद अभियुक्त से एक ब्लेक एण्डव्हाइट टीवी, तीन नग दरवाजे जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-2) तैयार किया जाना प्रकट किया है।

8 करण (अ.सा.-1) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साथ ही मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श प्री-1) एवं जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-2) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-3) पर अपने हस्ताक्षरों से भी इनकार किया है। उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। रामकरण (अ.सा.-2) ने मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श प्री-1) एवं जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है परंतु उक्त साक्षी ने यह बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त दिनेश से क्या पूछताछ की थी इस बात की उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी बताया है कि पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त से कोई भी सामान जप्त नहीं किया था। उपर्युक्त साक्षी से भी अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि वे तीन भाई हैं जिनका हिस्से अलग-अलग हो गया है। अभियुक्त गणेश के घर से खिड़की दरवाजे सबके सामने लेकर गया था। पैरा क. 05 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि खानदानी संपत्ति जमीन एवं मकान को लेकर तीनों भाईयों के बीच में विवाद चल रहा है। बल्लू (अ.सा.-4) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा मकान से लकड़ी दरवाजे ले जाना बताया है। अभियोजन द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने अभियुक्त के घर के पीछे तीन नग दरवाजे और एक नग टीवी रखी देखी थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त एवं फरियादी दिनेश के बीच जमीन और मकान का विवाद है और आधा मकान गिर भी गया है।

9 गणेश (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में अपने समक्ष अभियुक्त द्वारा मकान से सामान ले जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव अधिवक्ता द्वारा पूछे जाने पर पुलिस रिपोर्ट एवं अपने पुलिस कथनों का बयान न दिया जाना बताया है तथा साक्षी को पुलिस रिपोर्ट पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने इस तरह की रिपोर्ट लेख नहीं करवायी थी। साक्षी ने आगे यह बताया कि उसने पुलिस को यह बता दिया था कि उसने अभियुक्त को अपनी आंखों के सामने घर का सामान ले जाते देखा था तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में साक्षी ने यह बताया है कि जिस मकान से वह सामान चोरी हो जाने की बात बता रहा है वह उसके पिता का था जिस पर अभियुक्त दिनेश को कोई हिस्सा नहीं मिला है। कुंजवती (अ.सा.-5) ने भी साक्षी के कथनों का समर्थन कर यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके सामने मकान का खिड़की दरवाजा और घर का अन्य सामान ले गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने अपने ससुराल में मकान बना लिया है और वहां पर सामान लगा लिया है, इसी बात की नाराजगी है। साक्षी को उसके पुलिस बयान (प्रदर्श डी-2) पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसने पुलिस को ऐसे कथन नहीं दिये थे।

10 इस प्रकार मेमोरेंडम एवं जप्ती के साक्षी करण (अ.सा.-1) एवं रामकरण (अ.सा.-2) ने मेमोरेंडम एवं जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। जप्ती के प्रपत्र अपने आप में साक्ष्य नहीं है, जब तक कि उनके कथनों को प्रमाणित न करवाया जाये। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **श्रवण विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2006(2) ए.एन.जे.एम.पी. 235** अवलोकनीय है। प्रकरण में विवेचक साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.-6) ने अभियुक्त से एक नग ब्लेक एण्डव्हाइट टीवी, तीन नग दरवाजे के पल्ले जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया जाना बताया है परंतु उक्त साक्षी के कथनों से यह कहीं भी प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त के द्वारा बताये गये स्थान से उसके द्वारा सामान जप्त किये गये हों, किस जगह से सामान जप्त किया गया यह भी साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। इस प्रकार जप्ती के गवाह करण (अ.सा.-1) एवं रामकरण (अ.सा.-2) के साथ-साथ स्वयं विवेचक साक्षी ने कथनों को प्रमाणित नहीं किया है। विवेचक साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.-6) के द्वार शिनाख्ती की कार्यवाही भी नहीं करवायी गयी है।

11 प्रकरण में अभियुक्त एवं फरियादी आपस में सगे भाई हैं। उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि उभयपक्ष के मध्य जमीन एवं मकान का विवाद है जो कि उनकी खानदानी संपत्ति होना साक्षियों के कथनों से अभिव्यक्तित हो रही है। साथ ही ऐसी कोई परिस्थिति या साक्ष्य प्रकरण में उपलब्ध नहीं है जिससे यह दर्शित हो कि जिस मकान से अभियुक्त के द्वारा सामान हटाया जाकर चोरी किया जाना बताया है उस मकान पर अभियुक्त का घटना दिनांक को कोई हक या हिस्सा न रहा है। स्वयं फरियादी एवं अभियुक्त की मां कुंजवती ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह अपने तीनों बेटों को बराबर बराबर जमीन देना चाहती है और उसे केवल इस बात की नाराजगी है कि उसके बेटे/अभियुक्त दिनेश ने ससुराल में मकान बना लिया है और घर का सामान वहां ले जाकर लगा दिया है। ऐसी स्थिति में चोरी के अपराध को प्रमाणित करने के आवश्यक तत्वों का अभाव है। अभियुक्त का बेईमानीपूर्वक आशय के साथ विवादित मकान पर स्वयं का आधिपत्य न होना जानते हुए भी सामान हटाया गया को, ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है। प्रथम दृष्टया मामले की परिस्थितियां सिविल मामले को इंगित करती है। अतः धारा 379 भा.दं.सं. के आवश्यक तत्वों का अभाव होने से यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने मकान से सामान हटाकर चोरी की।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

12 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी गणेश के 03 नग पुराने दरवाजे कीमती 4,500/- रुपये एवं एक नग ब्लेकएण्ड व्हाइट टी.वी. कीमती 2,000/- रुपये को फरियादी की बिना सहमति के बेईमानीपूर्वक आशय से ले लेने के लिए हटाकर चोरी की। फलतः अभियुक्त दिनेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के आरोप

से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 प्रकरण में जप्तशुदा एक नग ब्लेकएण्ड व्हाईट क्राउन कम्पनी की टीवी एवं तीन नग दरवाजे विधिक स्वामी को अपील अवधि पश्चात वापस किये जावे। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

14 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)